कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नया रायपुर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क./ भू–प्रबंध / खनिज / 331–222 / 2083 रायपुर, दिनांक 02/07/2018

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर
छत्तीसगढ़

विषय: – **Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 for Diversion of 185.017 ha. of forest land for Chhal OC seam III 6 MTY project of SECL in Raigarh District of Chhattisgarh-regarding.**
– पंजीयन क्रमांक/ (FP/CG/MIN/16237/2015)

संदर्भ: 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–18/10–2 दिनांक 17.05.2018
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/तक/1119 दिनांक 27.06.2018

※ ※ ※ ※ ※

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के पत्र क्रमांक/ तक/2552 दिनांक 29.11.2017 एवं पत्र क्रमांक/636 दिनांक 28.03.2018 से विषयांकित प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसे छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू–प्रबंध/खनिज/331–222/1276 दिनांक 23.04.2018 के माध्यम से इस कार्यालय द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति भारत शासन से प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया गया था।

2. तदुपरांत संदर्भ पत्र–1 के माध्यम से राज्य शासन द्वारा 4 विन्दुओं पर प्रतिवेदन चाहा गया था। उक्त पत्र की छाया प्रति कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू–प्रबंध/खनिज/331–222/1563 दिनांक 24.05.2018 के माध्यम से आपको तथा वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वन मंडल को उपलब्ध करायी गई थी।

3. संदर्भ पत्र–2 के माध्यम से राज्य शासन द्वारा प्रेक्षा किये गये 4 विन्दुओं पर प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसके बिन्दु क्र. 3 के पालन में संदर्भ पत्र 2 द्वारा लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत लाक में 50.00 हे. राजस्व भूमि को जड़ भंडार उपलब्ध होने के कारण वन क्षेत्र के रूप में मानते हुए अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।

4. अतः संदर्भ पत्र–2 के विन्दु क्रमांक 3 पर उल्लेखित क्षेत्र को Deemed Forest मानकर प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रसंस्करण किया जावे।

5. उक्त के फलस्वरूप प्रस्ताव पुनरीक्षित किया जाना है।

6. संदर्भ पत्र–2 के बिन्दु 1, 2 एवं 4 पर दिये गये अभिमत को मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर की टीप में शामिल करते हुए आवेदक संस्थान से पुनरीक्षित प्रस्ताव प्राप्त कर वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ एवं स्वयं की अनुशंसा / अभिमत सहित इस कार्यालय को शीघ्र प्रेषित करे।

2/7/018
(एस. एस. बजाज)
अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/खनिज/331–222/ 2084 रायपुर, दिनांक 02/07/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1 **अपर मुख्य सचिव**, छ.ग. शासन, वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर। संदर्भ पत्र– 2 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। प्रस्ताव का पुनरीक्षण किये जाने की आवश्यकता है, अतः प्रस्ताव की मूल प्रतियां इस कार्यालय को वापस करने का अनुरोध है।

2. **वन मंडलाधिकारी,** धरमजयगढ़ वन मंडल, धरमजयगढ़, छत्तीसगढ़।

3. **उप महा प्रबंधक**, साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड, छाल उप क्षेत्र नवापारा, छाल, जिला रायगढ़।

2/7/018
अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

219- Letter Mine 2018 (1)

Scanned by CamScanner